प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 28.08.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गयाए जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गयाए जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.कच्ची शराब के विरूध्द अभियान:-

दिनांक 16.08.2020 से कच्ची शराब के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 28.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 15 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 140 लीटर अवैध कच्ची शराब व 19 शीशी देशी बण्टी बबली शराब बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया एवं काफी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। अभियान जारी है।

02.थाना भलुअनी पुलिस द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित 15000रू0 ईनामीया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 28.08.2020 को थानाध्यक्ष भलुअनी द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम पैकोली के पास से थाना भलुअनी में पंजीकृत मु0अ0सं0.192/2019 धारा-3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित अभियुक्त एवं 15000 रू0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 01.केशव जायसवाल पुत्र घूरा जायसवाल सा0 पैकौली थना भलुअनीए देवरिया को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना खामपार पुलिस द्वारा हत्या में वांछित एवं टॉप-10 एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 28.08.2020 को थानाध्यक्ष खामपार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम भवानी छापर के पास से थाना खामपार में पंजीकृत मु0अ0सं0-190/2019 धारा-302,201 भा0दं0सं0 में वांछित एवं थाना खामपार का टॉप-10 अभियुक्त 01.नीतीश पुत्र जवाहिर सा0 कोयला देवा थाना फुलवरिया गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 28.08.2020 को थानाध्यक्ष मदनपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर पकड़ी कतरारी रोड जद्दू पर्शिया गेट के सामने से एक व्यक्ति को 01 अदद देशी कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.स्वयंबर यादव पुत्र स्व0 गोरख यादव सा0 सुरौली टोला थाना भलुअनी, देवरिया। बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

05.थाना बनकटा पुलिस द्वारा एक अदद वाहन ट्रक से 21 राशि गोवंशीय पशु के साथ चार अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 28.08.2020 को थानाध्यक्ष बनकटा मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर रामपुर बुजुर्ग चौकी के पास से एक अदद ट्रक वाहन नं0 यूपी-50, एफ-3990 से 10 राशि गाय व 11 राशि बैल पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते चार व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रिजाजुद्दीन पुत्र इस्तेखार सा0 खानगेय थाना बिलरियांगज आजमगढ 02.फैसल पुत्र जहीर सा0 उपरोक्त 03.साकिल पुत्र अज्ञात सा0 नासिरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ 04.आरिफ पुत्र अज्ञात सा0 उपरोक्त बताया। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना बनकटा पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

06.** 02 **अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.अखिलानन्द राव उर्फ राजा राव पुत्र रामप्यारी सा0 परसौनी मुकुन्दहा थाना कसया कुशीनगर। 02.उमर फारूख पुत्र मियुद्दीन सा0 सवया थाना कसया कुशीनगर उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

07. 02 शराब तस्करों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक लार द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.ईमरान अहमद पुत्र इल्ताफ सा0 कस्बा लार थाना लार, देवरिया। 02.मैनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन सा0 उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर शराब तस्करी जैसे अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना लार में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

08. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 28.08.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

09. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 28.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 414 वाहनों से 316800 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।